न्यायालय सहायक कलक्टर (मुख्यालय) नागौर

बइजलास–रामजस विश्नोई (आर.ए.एस.)

आवेदन अन्तर्गत धारा 212 आरटीएक्ट सपठित आदेश अन्तर्गत धारा 39 नियम 1 व 2 सीपीसी धारा 151 सीपीसी वास्ते अस्थाई निषेधाज्ञा

संख्या :– 209/2016

प्रार्थी	अप्रार्थीगण
मोजीराम पुत्र रामाकिशन जाति मेघवाल निवासी फिड़ोद तह0 मूण्डवा जिला नागौर	1. रामाकिशन पुत्र भाणाराम 2. पुनाराम पुत्र रामाकिशन 3. परमा पुत्री रामाकिशन 4. सिंवरी पत्नी पुनाराम जातियान मेघवाल निवासीगण फिड़ोद तह0 मूण्डवा जिला नागौर। 5. राज0 सरकार जरिये तहसीलदार मूण्डवा 6. उप पंजीयक मूण्डवा।

वकील प्रार्थी :– श्री बी.आर.खुड़ीवाल

वकील अप्रार्थी :– श्री रामकिशोर मूण्डेल (अप्रार्थी सं. 2 व 4)
श्री रमेश कुमार ढाका (अप्रार्थी सं. 1 व 3)

::आदेश:: दिनांक :– **23.12.2020**

(1.) प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र पेश किया कि :–

1. कि प्रार्थी ने उक्त अनवान का वाद न्यायालय में ठोस आधारों पर पेश किया हैं जिसमें सफलता मिलने की प्रार्थी को पूरी पूरी आशा हैं।
2. कि प्रार्थी, अप्रार्थी सं. 1 का पुत्र हैं तथा अप्रार्थी सं. 2 का सगा भाई हैं। अप्रार्थी सं. 3 प्रार्थी की बहिन है, जिसका एक ही हिन्दु परिवार चलता आया हैं।
3. कि प्रार्थी व अप्रार्थी सं. 1 से 3 की पुश्तैनी सह कब्जे काश्त की अविभाजित कृषि भूमि खेत हाल ख.नं. 27/1135 रकबा 15–08 बीघा व ख.नं. 82 रकबा 19–14 बीघा कुल 35–02 बीघा वाके सरहद मौजा फिड़ोद तहसील मूण्डवा रहती चली आई हैं। उक्त भूमि पुश्तैनी होने बाबत् राजस्व रेकर्ड की नकलें साथ पेश हैं।
4. कि उक्त भूमि में विधिनुसार प्रार्थी व अप्रार्थीगण सं. 1 से 3 प्रत्येक का 1/4–1/4 हक हिस्सा निहित करता हैं और इसी अनुसार प्रार्थी व अप्रार्थीगण सं. 1 से 3 के मध्य आपसी सहमति से मौखिक बंटवाडा होकर सुविधानुसार अलग अलग अपने अपने 1/4–1/4 हक हिस्से की भूमि पर काबिज रहकर काश्त करते आ रहे हैं। मगर भौतिक बंटवाड़ा विधिनुसार पक्षकारान के मध्य नहीं हो रखा हैं जिससे बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड्स 1/4–1/4 के हिसाब से भौतिक बंटवाड़ा करवा कर अलग अलग बंट

सहायक कलक्टर (मु.)
नागौर

अपने कब्जे काश्त खातेदारी की घोषणा हेतु प्रार्थी को उक्त वाद पेश करना आवश्यक हुआ हैं व दौराने वाद अस्थाई निषेधाज्ञा हेतु यह प्रार्थना पत्र पेश हैं।

5. कि प्रार्थी की माता का देहांत हो चुका हैं तथा प्रार्थी के पिता अप्रार्थी सं. 1 रामाकिशन 75 वर्षों के भोली प्रकृति के अनपढ बीमार व्यक्ति हैं, जिनका नाजायज फायदा उठाकर अप्रार्थी सं. 2 पूनाराम व उसकी पत्नी अप्रार्थी सं. 4 सिंवरी ने भू माफिया लोगों के चक्कर में आकर उक्त सम्पूर्ण पुश्तैनी भूमि हड़पने की नियत से आपराधिक षड़यंत्र रचकर पहले तो अप्रार्थी सं. 1 को हाल ही में अपने पास रखना शुरू किया फिर उनको अप्रार्थी सं. 2 व 4 ने सही तथ्य बताये बिना अप्राथी सं. 1 के भोलेपन, अपनढ, कमजोर, बीमार होने का नाजायज फायदा उठाते हुए व उनके साथ विश्वासघात करते हुए सरकारी योजना अनुसार किसान क्रेडिट कार्ड बनाने का कह कर अप्रार्थी सं. 1 को उपपंजीयक कार्यालय मूण्डवा में लेजाकर बाले बाले उक्त पुश्तैनी भूमि ख.नं. 27/1135 व ख.न. 82 वाके मौजा फिड़ोद में से 23–08 बीघा जमीन का कागजी व नुमाईशी विक्रय पत्र दिनांक 21.01.2016 को अप्रार्थी सं. 2 ने अपनी पत्नी अप्रार्थी सं. 4 सिंवरी के नाम निष्पादित करवा कर पंजीयन करवा लिया व उसकी आड़ में म्यूटेशन नं. 1493 दिनांक 17.05.2016 के जरिय ख.नं. 27/1135 रकबा 15–08 बीघा पूरा व मूल ख.नं. 82 रकबा 19–14 बीघा में से कथित 8 बीघा रकबा के बट्टा नम्बर 1274/82 अपने नाम करवा लिया जिसकी कोई जानकारी अप्रार्थी सं. 1 को नहीं होने दी। जबकि अप्रार्थी सं. 1 ने कभी किसी को क्त भूमि या उसके भाग का बैचान नहीं किया न ही अप्रार्थी सं. 1 का इतना हिस्सा बनता हैं न ही किसी से कोई प्रतिफल की राशि प्राप्त की न मौके पर कब्जा आदान प्रदान हुआ। मौके पर कब्जा शुरू से लगातार आज दिन तक प्रार्थी व अप्रार्थी सं. 1 से 3 का 1/4–1/4 हिस्से अनुसार ही रहता चला आ रहा हैं। इस भूमि में प्रार्थी की रहवासी ढाणी स्थित हैं जिसमें निवास कर उक्त भूमि में काश्त करसण कर अपना भरण भोषण करता हैं। अन्य कोई आय का साधन नहीं हैं। लेकिन उक्त अवैध तरीके से छल कपट व धोखेधड़ी पूर्वक कागजी बैचान अप्रार्थी सं. 1 से अप्रार्थी सं. 2 ने अपनी पत्नी अप्रार्थी सं. 4 के हक में करवा लिया। इसके अलावा गांव फिड़ोद मे प्रार्थी का पुश्तैनी मकान उसे भी अप्रार्थी सं. 2 पुनाराम ने बेच कर राशि हड़प ली व अप्रार्थी सं. 1 की 40 बकरियों को भी अप्रार्थी संख्या 2 पूनाराम ने बेच कर राशि हड़प ली तथा अब अप्रार्थी सं. 1 का मारपीट करके घर से निकाल दिया। वर्तमान में अप्रार्थी सं. 1 प्रार्थी के साथ निवास करते हैं। दिनांक 04.07.2016 को सुबह 7 बजे अप्रार्थी सं. 2 पुनाराम व उसके सहयोगी इन्द्रचंद, मुकेश पुत्र इन्द्रचन्द व एक अन्य व्यक्ति प्रार्थी के घर आये व अप्रार्थी सं. 1 को गालियां निकालते हुए मारमीट करनी शुरू कर दी तथा प्रार्थी व अप्रार्थी सं. 1 को उक्त मकान से भी बेदखल कर बैचान करने व शेष रही भूमि को भी हड़पने की धमकी दी तथा अप्रार्थी सं. 2 पूनाराम ने बताया कि 23 बीघा जमीन तो मैने अपनी पत्नी सिंवरी के नाम करवा ली हैं तथा शेष 11 बीघा भूमि भी अपने नाम करवा देने की अप्रार्थी सं. 1 को धमकी दी जिसकी रिपोर्ट पुलिस थाना मूण्डवा की गई व अब उक्त वाद व यह प्रार्थना पत्र पेश करना आवश्यक हुआ हैं।

6. यह हैं कि अप्रार्थी सं. 1 का वादग्रस्त आराजी में हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम व अन्य विधिक प्रावधानों के अनुसार 1/4 हिस्सा ही बनता हें इसलिए उससे अधिका का कथत छल कपट व धोखे से करवाया गया बैचान अपने आप में ही अवैध शून्य तथा प्रार्थी के अधिकारों के प्रति बातिल व बेअसर हैं, ऐसे कथित बैचान से न तो अप्रार्थी सं. 4 को कोई अधिकार प्राप्त हुआ हैं न ही प्रार्थी के अधिकार समाप्त हुए हैं। लेकिन कथित नूमाईशी विक्रय पत्र के आधार पर अप्रार्थी सं. 4 ने नामान्तरकरण दर्ज करवा लिया हैं व उसकी आड़ में भूमि को उत्तरोतर बैचान, गिरवी हस्तातंरण करने पर

सहायक कलक्टर (मु.)
नागौर

आमदा हैं, जबकि अप्रार्थी सं. 1 व 4 को ऐसा करने का कोई अधिकार नहीं हैं। उक्त कथित बैचान जो कि अवैध व धोखे में रखकर करवाया गया हैं, उसके आधार पर अप्रार्थी सं. 2 व 4 तथा इनके दीगर सहयोगी भू माफिया नाजायज फायदा उठाने हेतु पिछले 5–7 दिनों से प्रार्थी को बेदखल करने की खुली धमकियां दे रहे हैं जिस पर प्रार्थी ने अप्रार्थीगण को ऐसा नहीं करने को कहा व हाथा जोड़ी कर काफी निवेदन किया आप ऐसा कैसे कर सकते हो, यह भूमि हमारी संयुक्त कब्जा काश्त व पुश्तैनी खातेदारी की अविभाजित रहती चली आई हैं। इस भूमि के अलावा हमारे पास आय का कोई अन्य स्त्रोत नहीं हैं, इसलिए आप ऐसा अन्याय नहीं कर सकते, लेकिन अप्रार्थीगण सं. 2 व 4 प्रार्थी की कोई बात नहीं सुन रहे हैं व लालच के वशीभूत होकर विधि विरूद्ध ढंग से भूमि को उत्तरोत्तर विक्रय हस्तांतरण बाबत सोदा कर रहे हैं तथा राजस्व रेकर्ड में परिवर्तन कर प्रार्थी को बेदखल करने में आमदा हैं। यदि इसमें अप्रार्थीगण कामयाब हो गये और प्रार्थी को उसके हक हिस्से की भूमि से बेदखल करने में सफल हो गये तो प्रार्थी को उसके विधिक अधिकारों से वंचित होना पडेगा , उसकी भूखा मरने की नौबत आ जायेगी तथा मौके पर कब्जे की बात को लेकर पक्षकारान के मध्य टंटा फिसाद होकर खून खच्चर की स्थिति पैदा हो जायेगी, जिससे प्रार्थी को अपूरणीय क्षति होगी जिसकी पूर्ति किसी भी प्रकार के मुआवजे से करना संभव नहीं होगा। जबकि भूमि प्रार्थी व अप्रार्थी सं. 1 से 3 की पुश्तैनी अविभाजित होने व मौके पर प्रार्थी का शुरू से आज दिन तक बिना किसी रोक टोक के कब्जा काश्त रहता चला आने से तथा विधिनुसार सहकाश्तकार का जब तक भौतिक विभाजन नहीं हो जाता तब तक प्रत्येक इंच पर कब्जा काश्त रहने से व उक्त पुश्तैनी भूमि का पक्षकारान के मध्य विधि अनुसार भौतिक विभाजन नहीं हो रखा होने से उपरोक्त सभी तथ्यों, परिस्थितियों व मौके की स्थिति अनुसार प्रथम दृष्ट्या मामला प्रार्थी के पक्ष में तथा सुविधा का संतुलन भी अप्रार्थीगण के उक्त अवैध कृत्य को रोकने हेतु उनके विरूद्ध दौराने वाद अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करने में ही हैं जिससे अप्रार्थीगण को किसी प्रकार की क्षति या असुविधा होने की स्थिति नहीं हो।

(2.) उक्त अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र का जवाब अप्रार्थी सं. 2 पूनाराम व अप्रार्थी सं. 4 सिंवरी का जवाब दिनांक 29.09.2016 को निम्नानुसार प्राप्त हुआ :–

(A) कानूनी आपत्तियां :–

1. कि प्रार्थी के आवेदन पत्र में अप्रार्थी सं. 4 के हक में विक्रय पत्र दिनांक 21.01.2016 को बैचानकर्ता रामाकिशन अप्रार्थी सं. 1 द्वारा किसी तरह की चुनौती नही दी हैं, ना ही सक्षम न्यायालय द्वारा विक्रय पत्र दिनांक 21.01.2016 को अवैध व निष्प्रभावी घोषित किया गया हैं जिससे प्रार्थी ने आवेदन पत्र के अनुच्छेद सं. 6 में उक्त विक्रय पत्र दिनांक 21.012016 में वर्णित खेताय हाल ख.नं. 27/1135 रकबा 15 बीघा सम्पूर्ण एवं ख.नं. 82 रकबा 19–14 बीघा में से 8 बीघा पश्चिमी भाग का मौजा फिड़ोद का कुल रकबा 23–08 बीघा अवैध व शून्य उल्लेखित कर विक्रय पत्र को चुनौती प्रार्थी ने दी हैं जो केवल सिविल न्यायालय के क्षेत्राधिकार की विषयवस्तु होने से वाद व आवेदन पत्र अधीन आदेश 7 निमय 11 (57) सीपीसी के तहत प्रकरण वापिस लौटाया जाने योग्य हैं।
2. प्रार्थी का आवेदन पत्र रेकार्डेड खातेदार के विरूद्ध प्रस्तुत किया गया हैं जिसमें प्रार्थी का नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज नहीं होने से भी आवेदन चलने योग्य नहीं होने आवेदन खारिज किया जाकर एवं विधिविरूद्ध होने से वापिस लौटाया जाने योग्य हैं।
3. प्रार्थी का आवेदन पत्र में उल्लेखित हाल ख.नं. 27/1135 रकबा 15–08 बीघा सम्पूर्ण भू भाग तथा ख.नं. 82 रकबा 19–14 बीघा में से बैचान का भाग ख.नं. 1274/82

सहायक कलक्टर (मु.)
नागौर

रकबा 8 बीघा सरहद मौजा फिड़ोद की कृषि भूमि एसबीबीजे बैंक शाखा मण्डवा के रहन थी जिसके रहन राशि अप्रार्थी सं. 1 ने अप्रार्थी सं. 2 से एवं अप्रार्थी सं. 4 सिंवरी से विक्रय पत्र के प्रतिफल की राशि 4,00,000/– अक्षरे चार लाख रूपयै रोकड़ी प्राप्त कर रहनमुक्त करवा कर तथा प्रतिफल राशि रोकड़ी प्राप्त कर विक्रय पत्र पंजीयन व रजिस्ट्रेशन करवा कर निष्पादित किया, जिससे उक्त मामला सिविल नेचर होने से प्रार्थी को सिविल वाद सक्षम न्यायालय में चुनौती देकर एवं सम्पूर्ण राशि की कोर्ट फीस देकर विक्रय पत्र अगर निष्प्रभावी व अवैध घोषित होता हैं तो विभाजन कृषि भूमि का किया जा सकता हैं। वैध विक्रंय पत्र का प्रतिफल लेकर अप्रार्थी सं. 1 रामाकिशन द्वारा अपनी खातेदारी हक की भूमि का विक्रय के जरिये कब्जा सुपुर्द कर दिया, जिससे अब वर्तमान में अप्रार्थी सं. 4 की फसल मूंग की बुआई भी कब्जा के आधार पर की जा चुकी हैं। इसलिए वैध खरीद सुदा खातेदारी हक हस्तांतणसुदा कृषि भूमि का प्रार्थी विभाजन करवाने का अधिकारी नहीं होने से आवेदन विधिक रूप से निषेधाज्ञा, विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम 1963 की धारा 4 (एच) के अनुसार वर्जित होने से वाद व यह आवेदन खारिज किये जाने के हैं। इसलिए अप्रार्थी सं. 4 द्वारा अलग से प्रार्थना पत्र अधीन आदेश 7 नियम 11 सीपीसी में भी प्रस्तुत कर रही हैं, जिसको प्रथमतः निस्तारित किया जाना हैं।

(B) पैरावार जवाब प्रार्थना पत्र अप्रार्थी सं. 2 एवं 4 द्वारा :–

1. आवेदन पत्र का अनुच्छेद सं. 1 असत्य होने से अस्वीकार हैं। प्रार्थी ने आवेदन अवश्य पेश किया हैं, किन्तु प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन मिथ्या बातिल बेअसर एवं निष्प्राभी तथ्यों पर आधारित हैं।
2. कि आवेदन पत्र का अनुच्छेद सं. 2 असत्य होने से अस्वीकार हैं। प्रार्थी एवं अप्रार्थी सं. 1 से 3 का एक ही हिन्दु परिवार होने का तथ्य गलत दर्ज किया हैं। प्रार्थी, अप्रार्थी सं. 1 व अप्रार्थी सं. 2 ने अपने हिन्दु परिवार का विभाजन सन् 1995 में ही कर अलग अलग निवास शुरू कर दिया गया। वादग्रस्त भूमि अप्रार्थी सं. 1 की स्व अर्जित कृषि भूमि होने से अप्रार्थी सं. 1 के नाम व हक अधिकार में रखकर अलग अलग पक्षकारान का निवास रहा हैं। तत्पश्चात् अप्रार्थी सं. 1 ने स्व अर्जित कृषि भूमि का विक्रय पत्र दिनांक 21.01.2016 को अप्रार्थी सं. 4 को बतौर प्रतिफल राशि प्राप्त कर उक्त 23–08 बीघा मौजा फिड़ोद की कृषि भूमि का कब्जा सुपुर्द कर दिया, तब से अप्रार्थी सं. 4 के खातेदारी हक अधिकार की उक्त कृषि भूमि रही, जिससे हिन्दु परिवार एक रहने का कथन गलत किया।
3. आवेदन पत्र का अनुच्छेद 3 असत्य व अस्वीकार हैं। खेत हाल ख.नं. 27/1135 रकबा 15–08 बीघा एवं ख.नं. 82 रकबा 19–14 बीघा मौजा फिड़ोद की भूमि प्रार्थी व अप्रार्थी सं. 1 से 3 की पुश्तैनी सह कब्जे काश्त अविभजित कृषि भूमि नहीं हैं। उक्त भूमि अप्रार्थी सं. 1 की स्व अर्जित व अकेले नाम की खातेदारी में रही जिससे विक्रय दिनांक 21.01.2016 को अप्रार्थी सं. 1 ने अप्रार्थी सं. 4 के खातेदारी अधिकार का नक्शे में तरमीम सहित अलग से खरीद सुदा भूमि का रेकार्ड दर्ज हैं।
4. कि आवेदन पत्र का अनुच्छेद सं. 4 असत्य व अस्वीकार हैं। प्रार्थी ने आवेदन पत्र में यह गलत अंकित किया हैं कि उपरोक्त पुश्तैनी भूमि में वंशवली में दर्शाये मुताबिक विधि अनुसार वादी व अप्रार्थी सं. 1 से 3 प्रत्येक का 1/4–1/4 हिस्सा निहित करता हैं और इसी अनुरूप प्रार्थी व अप्रार्थी सं. 1 से 3 के मध्य बंटवाड़ा आपसी सहमति से मौखिक होकर बंटवाड़ा मुताबिक अलग अगल अपने 1/4–1/4 हक हिस्से की भूमि पर काबिज रह कर काश्त करते आ रहे हैं, सारे तथ्य बनावटी हैं। वास्तव में ख.नं. 27/1135 रकबा 15–08 बीघा सम्पूर्ण व ख.न. 82 रकबा 19–14 बीघा में से 8 बीघा पश्चिम भाग कुल रकबा 23–08 बीघा मौजा फिड़ोद की अप्रार्थी सं. 4 ने अप्रार्थी सं. 1

सहा० कलक्टर (मु.)
नागौर

की स्व. अर्जित भूमि का जरिये विक्रय पत्र दिनांक 21.01.2016 को प्रतिफल चार लाख रूपये रोकड़ी अदा कर कब्जा प्राप्त किया जिससे ख.नं. 1274/82 रकबा 8 बीघा के नये ख.नं. दर्ज हुए एवं 27/1135 रकबा 15–08 बीघा का ग्राम फिड़ोद का म्यूटेशन संख्या 1493 दिनांक 17.05.2016 को दर्ज भी हो गय। नक्शा ट्रेस में अलग से तरमीम हो चुकी हैं। इस प्रकार प्रार्थी व अप्रार्थी सं. 1 से 3 का 1/4 हिस्सा का बाई मीट्स एवं बांउण्ड्स के अलग अलग कब्जा काश्त अनुसार खातेदारी हक भी घोषणा हेतु प्रार्थी ने वाद व आवेदन निराधार पेश किया हैं।

5. कि आवेदन पत्र का अनुच्छेद 5 असत्य होने से अस्वीका हैं। प्रार्थी की माता का देहान्त हो चुका हैं, यह तो सत्य हैं, मगर प्रार्थी ने आवेदन पत्र में ये बनावटी व झुठे कथन किये हैं कि अप्रार्थी सं. 1 रामाकिशन भोली प्रकृति के अनपढ व बीमार हैं, बल्कि स्वस्थ व खेतीहर आदमी होशियार कृषक हैं। अप्रार्थी सं. 1 से अप्रार्थी सं. 2 व 4 ने कोई नाजायज फायदा नहीं उठाया हैं। प्रार्थी ने यह भी गलत दर्ज किया हें कि अप्रार्थी सं. 1 के भोलेपन, अनपढ, कमजोर वबीमार होने का नाजायज फायदा उठाते हुए व उसके साथ विश्वासघात करते हुए सरकारी योजना के अनुसार किसान क्रेडिट कार्ड बनाने का कहकर अप्रार्थी सं. 1 को उप पंजीयक कार्यालय मूण्डवा में ले जाकर बाले बाले उक्त पुश्तैनी भूमि ख8. 27/1135व ख.नं. 82 वाके फिड़ोद में से 23–08 बीघा का काबजी बैचान व नुमाईशी विक्रय पत्र दिनांक 21.01.2016 को अप्रार्थी सं. 2 ने अपनी पत्नी अप्रार्थी सं. 4 के नाम निष्पादित करवा कर पंजीयन करवा लिया व उसकी आड़ में म्यूटेशन सं. 1493 दिनांक 17.05.2016 के जरिये ख.नं. 27/1135 रकबा 15.06 बीघा पूरा व ख.नं. 82 रकबा 19–14 बीघा में से 8 बीघा के बट्टा 1274/82 अपने नाम दर्ज करवा लिया हैं जिसकी कोई जानकारी वादी व अप्रार्थी सं. 1 को नहीं दी। सारे कठन झूठे व बनावटी दर्ज हैं। अप्रार्थी सं. 1 नं अप्रार्थी सं. 4 से प्रतिफल राशि प्राप्त कर उक्त विक्रय पत्र निष्पादित कराया हैं। प्रतिफल राशि प्राप्त कर अप्रार्थी सं. 1 ने अपने एसबीबीजे मूण्डवा के खाता सं. 61221883321 में दिनांक 19.01.2016 को रूपये 2,99,663/– जमा कराये व केसीसी के खाता में रकम जमा कराई गई। इस सम्बन्ध में अप्रार्थी सं. 1 रामाकिशन ने एक इकरारनामा पांच सौ रूपये के स्टाम्प पर लिखकर नोटेरी से तस्दीक भी कराया। इस प्रकार प्रार्थी ने झूठा दावा पेश किया हैं। प्रार्थी ने दावा में आगे यह भी गलत कथन किया हैं कि " अप्रार्थी सं. 1 ने कभी किसी को उक्त भूमि या उसके भू–भाग का बैचान नहीं किया, न ही अप्रार्थी सं. 1 का इतना हिस्सा बनता हैं, न ही किसी से कोई प्रतिफल की राशि प्राप्त की हैं न ही मौके पर कब्जा का आदान प्रदान हुआ हैं। मौके पर कब्जा शुरू से लगातार आज दिन तक प्रार्थी व अप्रार्थी सं. 1 से 3का हिस्से अनुसार 1/4–1/4 भाग का रहता चला आ रहा हैं। सारे कथन झूठे व बनावटी हैं। अप्रार्थी सं. 1 नं प्रतिफल राशि प्राप्त कर बैंक में जमा कराई व कब्जा भी अप्रार्थी सं. 2 व 4 को सुपुर्द कर दिया क्योंकि खातेदारी अधिकार अकेले अप्रार्थी सं. 1 के नाम दर्ज होते रहे हैं। प्रार्थी ने यह भी गलत दर्ज किया हैं कि विक्रय पत्र दिनांक 21.01.2016 का अनैध तरीके से छल कपट व घोखाधड़ी पूर्वक कागजी बैचान अप्रार्थी सं. 1 से अप्रार्थी सं. 2 व 4 ने कराया हो। ग्राम फिडोद की सरहद में आबादी का मकान अप्रार्थी सं. 1 ने प्रार्थी को अदा कर फौजदारी मुकदमा 46/95 के कर्जा राशि के काम में लिया था। अप्रार्थी सं. 1 प्रार्थी के बहकावे में आने से प्रार्थी के साथ निवास करता रहा हैं। प्रार्थी के झूठे तथ्यों से दावा पेश किया हैं जिससे घोषणा खातेदारी, विभाजन व स्थाई निषेधाज्ञा पेश करना गलत रूप से अंकित किया हैं।

6. कि आवेदन पत्र का अनुच्छेद सं. 6 असत्य व बनावटी होने से अस्वीकार हैं। प्रार्थी ने आवेदन पत्र के मद संख्या 5 के तथ्यों की पुरावृति कर पुनः झूठे तथ्य दर्ज किये हैं।

सहायक कलक्टर (मु.)
नागौर

अप्रार्थी सं. 1 ने वैध रूप से विक्रय पत्र दिनांक 21.01.2016 का प्रतिफल राशि प्राप्त कर सही विक्रय पंजीयन कराया हैं। पूरे मद में प्रार्थी ने झूठे कथन दर्ज किये हैं। अप्रार्थी सं. 2 व 4 का संयुक्त रूप से कब्जा ख.नं. 27/1135 व 1274/82 मौजा फिड़ौद पर हैं जिसमें ख.नं. 27/1135 में मूंग की फसल अप्रार्थी सं. 2 व 4 ने बोई व अवेंरी तथा ख.नं. 1274/82 पड़त (बीड़ा) छोड़ा गया जिनमें प्रार्थी व अप्रार्थी सं. 1 व 3 को काई हक अधिकार नहीं रहा व हैं। खातेदार अधिकार माफिक अप्रार्थी सं. 2 व 4 काबिज काश्तकार हैं। प्रथम दृष्ट्या मामला प्रार्थी के पक्ष में नहीं हैं, ना ही सुविधा का संतुलन व अपूर्णीय क्षति प्रार्थी को हो रही हैं।

(3) प्रार्थी के आवेदन का अप्रार्थी सं. 1 रामाकिशन व अप्रार्थी सं. 3 परमा की ओर से दिनांक 04.06.2019 को इकबालिया जवाब पेश हुआ। जवाब के अनुसार प्रार्थी व अप्रार्थी सं. 1 से 3 का प्रत्येक का 1/4–1/4 हिस्सा व कब्जा काश्त हैं। सिंवरी के हक में करवाया गया बैचान बहला फुसलाकर किसान क्रेडिट कार्ड का कह कर गलत कराया गया हैं।

हमने दोनों पक्षों की बहस दिनांक 16.12.2020 को सुनी तथा दोनों पक्षों ने अपने अपने न्यायिक दृष्टांत पेश किये। प्रार्थी नं अपने पक्ष में 2010 (1) आरआरटी 221 व 2016 (2) आरआरटी 1084 के फैसले का हवाला देते हुए भूमि पैतृक होने से अस्थाई निषेधाज्ञा को दावे के चलने तक पुष्टि करने का निवेदन किया। वकील अप्रार्थी सं. 2 व 4 ने राजस्व मण्डल राज0 अजमेर के निम्न फैसलों की नजीरें :– रिवीजन नं. 120 जयपुर/2003 निर्णय दिनांक 16.01.2004, निगरानी/टी.ए./91/2000/झुझुनू दिनांक 23.06.2003, निगरानी /टी.ए. /9/99/नागौर दिनांक 01.04.2004 व रिवीजन/टी.ए./8116/चितौडगढ/2008 दिनांक 24.08.2009 पेश करते हुए जारी अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 12.07.2016 खारिज करने का निवेदन किया। बहस में यह भी बताया कि अप्रार्थी सं. 4 ने प्रतिफल का संदाय रोकड़ी करके भूमि क्रय की हैं तथा राजस्व रेकर्ड के अनुसार अप्रार्थी सं 4 खातेदार काश्तकार हैं जिसके विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा, पंजीकृत बैचान दस्तावेज के अस्तित्व में रहने तक जारी नहीं की जा सकती। भूमि अभिवक्त हिन्दु परिवार की शामलाती नहीं हैं तथा बैचान सही व प्रतिफल का संदाय के बाद भूमि रहन मुक्त कराने का बाद हुआ हैं मौके पर अप्रार्थी सं. 2 व 4 का कब्जा काश्त हैं। भूमि पैतृक नहीं हैं।

हमने पत्रावली का गहन अध्ययन किया तथा बहस पर मनन किया। प्रार्थी अस्थाई निषेधाज्ञा के मूल सिद्धांत यथा प्रथम दृष्ट्या मामला, सुविधा का संतुलन व अपूर्णीय क्षति को साबित करने में असफल रहे हैं तथा रेकर्डेड खातेदार के विरूद्ध वाद का निर्णय तक अस्थाई निषेधाज्ञा सादिर किया जाना उचित प्रतित नहीं होता हैं। प्रार्थी प्रथम दृष्टया मामला सुविधा का सतुलन एवं अपूर्णीय क्षति होने बाबत् राजस्व रेकर्ड से साबित नहीं कर पाया हैं। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र सारहीन होने से खारिज किया जाता हैं।

आदेश आज दिनांक **23.12.2020** को लिखाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

(रामजस विश्नोई)
आर.ए.एस.(मु.)
सहायक कलक्टर (मु.) नागौर

सहायक कलक्टर (मु.) नागौर